

राजस्थान-सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ-27() ग्रावि/ग्रुप-5/जीकेएन/2015-16

जयपुर दिनांक 05 अक्टूबर, 2015

-: परिपत्र :-

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के कय नियम - 183 से 192 तक उल्लेखित सामग्री और सेवाओं का उपापन एवं निविदा सम्बन्धित प्रक्रिया का समयबद्ध क्रियान्वयन वर्ष 2016-17 हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका- 2015(विभागीय परिपत्र संख्या- 17/2015) (विन्दु संख्या 9.7) के अधीन सम्पादित होने वाले समस्त योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना सहित) नवीन दर मूल अनुसूची, सामग्री दरों का निर्धारण एवं निविदा निर्धारण निम्न सम्य सारणी अनुसार किया जावेगा :-

(अ) पंचायत समिति स्तरीय दर मूल अनुसूची एवं सामग्री दरों का निर्धारण


क. सं.	गतिविधि	निर्धारित समय सीमा	उत्तरदायित्व
1.	पंचायत समिति स्तरीय दर मूल अनुसूची तैयार करना (निर्धारित प्रक्रिया का पालना अनिवार्य रूप से किया जावे)	15 दिसम्बर, 2015	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, पं.सं. स्तरीय दर मूल निर्धारण समिति (क्रमशः विकास विकास अधिकारी व सहायक अभियंता कार्यालय, पं.सं.)
2.	पंचायत समिति स्तरीय दर मूल अनुसूची का अनुमोदन (निर्धारित प्रक्रिया का पालना अनिवार्य रूप से किया जावे) ।	31 दिसम्बर, 2015	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, पं.सं. स्तरीय दर मूल निर्धारण समिति (क्रमशः विकास विकास अधिकारी व सहायक अभियंता कार्यालय, पं.सं.)
3.	जिला दर निर्णायक समिति द्वारा दरों का अनुमोदन (निर्धारित प्रक्रिया का पालना अनिवार्य रूप से किया जावे)	15 जनवरी, 2016	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय दर मूल निर्णायक समिति (क्रमशः जिला कलेक्टर एवं कार्यपालक अभियंता (अभियांत्रिकी))
4.	वर्ष 2016-17 हेतु दर मूल अनुसूची लागू करना।	01 अप्रैल, 2016	जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विकास अधिकारी।

(ब) ग्राम पंचायत स्तर पर निविदा निर्धारण

क. सं.	गतिविधि	निर्धारित समय सीमा	उत्तरदायित्व
1.	निविदा प्रकाशन	01 फरवरी, 2016	पंचायत समिति (विकास अधिकारी)
2.	सामग्री का आकलन कर ग्राम पंचायतवार जी शिड्यूल तैयार कराना	31 जनवरी, 2016	पंचायत समिति के सहा. अभि./कनि. अग्नि./कनि.तक.सहा.
3.	निविदा खोले जाने की अन्तिम तिथि	15 मार्च, 2016	सरपंच एवं ग्राम सेवक
4.	निविदा का अन्तिम रूप दिया जाना। ग्राम पंचायत स्तर से अनुमोदित नहीं होने वाली निविदा को पंचायत समिति को प्रेषण कर फाईनल कराने की अन्तिम तिथि	20 मार्च, 2016	सरपंच एवं ग्राम सेवक
5.	निविदा का अन्तिम रूप दिया जाना। पंचायत समिति स्तर से अनुमोदित नहीं होने वाली निविदा को जिला	25 मार्च, 2016	विकास अधिकारी, पंचायत समिति


	परिषद को प्रेषण कर फाईनल कराने की अन्तिम तिथि		
6.	जिला दर निर्णायक समिति द्वारा निविदाओं की अन्तिम रूप देना	31 मार्च, 2016	जिला दर निर्णायक समिति
7.	वर्ष 2016-17 हेतु निविदा दर को लागू करना	01 अप्रैल, 2016	सम्बन्धित विकास अधिकारी, पंचायत समिति

विशेष :- उक्तानुसार कार्य सम्पादन की अनिवार्यता है, अन्यथा स्थिति में सम्बन्धित को उदासीनता हेतु उत्तरदायी माना जावेगा, क्योंकि गत वर्षों में समयबद्ध दरों के निर्धारण एवं अनुमोदन के अभाव में राज्य की समग्र प्रगति पर विपरीत प्रभाव रहा है।


 (राजीव सिंह ठाकुर)
 शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग।
6. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
9. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग राजस्थान जयपुर।
10. जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्ता राजस्थान।
11. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
12. परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव (एन&ई), ग्रामीण विकास को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि प्रपत्र की प्रतियां अपने स्तर भी समस्त सम्बन्धितों को प्रेषित कराने का श्रम करावे।
14. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
15. परियोजना प्रबंधक (भू संरक्षण) समस्त जिला राजस्थान।
16. अधिशाषी अभियंता (अभि.) एवं सदस्य सचिव जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्ता राजस्थान।
17. अधिशाषी अभियंता (नरेगा) जिला परिषद समस्ता राजस्थान।
18. परियोजना अधिकारी (लेखा)/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
19. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
20. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत समस्त राजस्थान।
21. रक्षित पत्रावली।


 अधीक्षण अभियंता (ग्रा.वि.)